तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में

(2)

गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने अपनी रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड से बाबूलाल पुत्र हनुमानाराम जाति माली निवासी अशोक नगर का नाम दुरुस्त करने की अभिशंसा की है। जो आवश्यक सिद्ध की गई। हमने प्रा०-पत्र के वर्णित तथ्यों व जांच रिपोर्ट तहसीलदार व पटवारी पर उपलब्ध दस्तावेजात/जमाबन्दी का अवलोकन करते हुए पक्ष आदेश पर मनन किया गया। जमाबन्दी ग्राम अशोक नगर संवत 2074-2077 खाता सं० 161, 160, 199 में पप्पु पुत्र हनुमानराम दर्ज हिकायत है। रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ के अनुसार प्रार्थी का नाम पप्पु एवं बाबूलाल दोनों नाम बताया है ~~[illegible]~~ प्रा०पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार से होना पाया है। अतः आदेश का पत्र प्रा०-पत्र हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित है। अतः

आदेश

प्रार्थी आवेदन का पत्र प्रा०-पत्र अ० धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का भादर तहसील सुजानगढ़ की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता सं० 199, 160 व 161 में दर्ज अनुज्ञप्ति प्रविष्टि पप्पु पुत्र हनुमानाराम के स्थान बाबूलाल पुत्र हनुमानाराम दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष जमाबन्दी का अंश जैसा तैसा रहेगा। आदेश प्रति पालनार्थ तहसीलदार को फर्द अहकाम दी जाती है। पटवारी के फल शुमार लेखा दर्ज रजिस्टर के करते हैं एवं कार्य तहसील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

18.04.22